''धारीवाल सदन में तो आएंगे, लेकिन अगले 2 दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक रहेगी''

विधानसभा में सभापति को अमर्यादित शब्द कहने पर शांति धारीवाल को स्पीकर देवनानी ने सजा सुनाई

- विधानसभाध्यक्ष ने कहा ''इनका आचरण 4 साल तक सदन का सदस्य नहीं रहने जैसा था, लेकिन विपक्ष के आग्रह और धारीवाल द्वारा माफी मांगने के बाद मैंने फैसला बदला है।''
- देवनानी ने नए विधायकों को भी चेताते हुए कहा ''यह सदन है, इसकी गरिमा बनाएं रखें। यह ना तो कोई यूनिवर्सिटी का गेट है और ना ही हॉस्टल, ना ही कोई वी.सी. का चैंबर, यहां अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं करूंगा।''
- कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी सदन में कहा कि, ''धारीवाल ने गलत शब्द बोले हैं तो इनको जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इनके द्वारा खेद प्रकट करने पर माफ कर दिया जाना चाहिए।''
- चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने धारीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा, ''उम्र के असर से दिमाग और शरीर का लीकेज होता है।''
- संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, ''धारीवाल, पहले भी राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने जैसा विवादित बयान दे चुके हैं। इस विषय को हंसी-मजाक में नहीं लेना चाहिए। धारीवाल अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए।''

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल द्वारा बीते दिनों विधानसभा में सभापति संदीप शर्मा को अमर्यादित शब्द कहने का मामला आज फिर सदन में गूंजा। निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने शून्यकाल के बाद यह मुद्दा उठाया। इसके बाद शांति धारीवाल ने अपने शब्दों पर खेद जताते हुए माफी मांगी। इसके बाद स्पीकर प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि शांति धारीवाल सदन में आएंगे, लेकिन अगले 2 दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक रहेगी। स्पीकर ने धारीवाल से कहा ''जिस तरह का आचरण था, उसके मुताबिक तो 4 साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने मात्र 2 दिन तक आपको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का फैसला लिया है।''

देवनानी ने नए विधायकों को भी चेताते हुए कहा कि ''यह सदन है, इसकी गरिमा बनाएं रखें। यह ना तो कोई यूनिवर्सिटी का गेट है और ना ही हॉस्टल, ना ही कोई वी.सी. का चैंबर, यहां अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं करूंगा।''

दरअसल सदन में श्रीचंद कृपलानी ने अमर्यादित शब्द कहने पर शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि शांति धारीवाल को उस दिन खांसी थी। उनकी जुबान फिसल गई थी। सदन की कार्यवाही से वो शब्द विलोपित कर दिए गए थे। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि उम्र के असर से दिमाग और शरीर का लीकेज होता है। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शांति धारीवाल 5 बार के विधायक हैं, वे बड़े पदों पर रहे हैं। उस दिन सभापति ने इनको 19 साल का बता दिया था, तो इनका दिमाग 19 साल के व्यक्ति की तरह चलने लगा। डोटासरा ने कहा कि हम सदन में मौजूद थे और अगर गलत शब्द बोले गए हैं तो हम इसका समर्थन नहीं करते। यही बात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दोहराई। उनकी इस बात पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, 19 साल की उम्र बताकर अमर्यादित शब्दों के प्रयोग करने का क्या कुतर्क दिया जा रहा है।

इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में अपना वक्तव्य देने के संबंध में नियम 272 में बोलने के बारे में प्रावधान है। आपत्तिजनक शब्दावली के इस्तेमाल पर रोक है। इसके तहत शांति धारीवाल का यह आचरण निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। शांति धारीवाल, पहले भी राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने जैसा विवादित बयान दे चुके हैं। इस विषय को हंसी-मजाक में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि धारीवाल अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए।

अपना पक्ष रखते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि विधायक संदीप शर्मा से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। उस दिन जब वे सदन में बोल रहे थे, तो उन्हें सभापति के पद पर आसीन संदीप शर्मा ने बोलने से रोका। इस पर उनके मुंह से अनायास ही वो शब्द निकल गए। अगर उन्हें इससे ठेस लगी, तो वे उनसे माफी मांगते हैं।

धारीवाल ने कहा कि ''मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं, मैंने हमेशा इस आसन को सर्वोच्च मानकर ही चला हूं। मेरा आसन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं हैं। संदीप शर्मा जब पहली बार सभापति की कुर्सी पर बैठे तो इस पूरे सदन में अकेला आदमी था, जिसने कहा था आज सबसे ज्यादा खुश हूं कि ये विराजमान है। जहां तक संदीप शर्मा की बात है तो वो मेरे बेटे के दोस्त है। हमेशा हंसी-मजाक चलती रहती है। जब भी मिलते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं।''

इस पर स्पीकर प्रो. वासुदेव देवनानी ने जोर देकर कहा कि आपने सदन में जो बोला है। उसके लिए सदन से माफी मांगे। इसके बाद शांति धारीवाल ने खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी। इसके बाद स्पीकर प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि शांति धारीवाल सदन में तो आएंगे, लेकिन अगले 2 दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक रहेगी। स्पीकर ने धारीवाल से कहा ''जिस तरह का आचरण था, 4 साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने मात्र 2 दिन तक आपको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का फैसला लिया है।''

इसके बाद व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष प्रो. देवनानी ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि वरिष्ठ सदस्य ने इस तरीके के शब्द बोले। यह सबके लिए, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इस घटना से राजस्थान विधानसभा की और प्रदेश की इज्जत दांव पर है। उसकी भरपाई माफी मांगने पर भी नहीं होगी। आज मेरी अंतिम चेतावनी है। इस तरीके के आचरण पर कठोरता कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। फिर कभी भी माफी की बात नहीं सुनूंगा। इसी के साथ उन्होंने व्यवस्था दी कि धारीवाल अगले 2 दिन सदन में आ सकेंगे, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे।

भाजपा के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

ये किसी को ब्लैकमेल करने के लिये सवाल करते हैं : दिलावर

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक अर्जुन बामणिया ने पूछा था कि जिला परिषद बांसवाड़ा से पिछले दो साल में किन-किन पंचायत समितियों के कितने ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों के तबादले एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किए गए?

स्पीकर ने जैसे ही पूरक सवाल के लिए विधायक को पुकारा तो बामणिया ने कहा कि जवाब से सुतुष्ट हूं, सवाल नहीं पूछना। इस पर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इनके संतुष्ट होने का कारण समझ लीजिए। ये किसी को ब्लैकमेल करने के लिए सवाल लगाते हैं।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि प्रश्न पूछना विधायक का अधिकार है, प्रश्न का जवाब देना मंत्री की जिम्मेदारी है। सवाल लगने के बाद वह विधानसभा की प्रॉपर्टी हो जाता है। विधायक सरकार से संतुष्ट है, यह अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल लगा है उसका जवाब देना भी मंत्री का अधिकार है, उसे कम नहीं कर सकते।

मंत्री को जवाब देने का अवसर देना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि सवाल सदन में आते ही जवाब रिकॉर्ड पर आ जाता है।

बी-2 बाईपास चौराहे पर बने क्लोअर लीफ से आज से शुरू होगा आवागमन

जयपुर (कासं)। टोंक रोड पर बी-2 बाईपास चौराहे को ट्रेफिक-फ्री जंक्शन बनाने का काम जयपुर विकास प्राधिकरण ने पूरा कर लिया है। यहां बनाई गई क्लोअर लीफ पर 31 जुलाई से यातायात आवागमन शुरू कर दिया जायेगा, जिससे आमजन की राह सुगम होगी। इस प्रोजेक्ट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने 161 करोड़ रु. खर्च किए है।

जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया कि बी-2 बाईपास

- इस चौराहे को ट्रेफिक-फ्री जंक्शन बनाने के लिए जे.डी.ए. ने 161 करोड़ रु. खर्च किए

जंक्शन को सिग्नल फ्री करने के बाद यहां से ट्रेफिक निर्बाध रूप से गुजरेगा। जवाहर सर्किल से मानसरोवर एवं मानसरोवर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाला यातायात अण्डरपास का उपयोग करते हुए निर्बाध रूप से जा सकेगा। सांगानेर की ओर से आने वाला यातायात बांयी ओर मानसरोवर की तरफ और सीधा जयपुर शहर की तरफ जा सकेगा, इसके अतिरिक्त क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जवाहर सर्किल एवं जगतपुरा की ओर जा सकेगा। दुर्गापुरा की ओर से आने वाला यातायात सीधा सांगानेर की तरफ जा सकेगा एवं मानसरोवर के लिए क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जा सकेगा। मानसरोवर से आने वाला यातायात क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए सांगानेर की तरफ जा सकेगा।

टोंक रोड पर बी-2 बाईपास चौराहे को ट्रेफिक-फ्री जंक्शन बनाने का काम जयपुर विकास प्राधिकरण ने पूरा कर लिया है। बुधवार को इस पर आवागमन शुरू हो जायेगा।

अण्डरपास का कार्य पूरा करके 15 मार्च को लोकार्पण किया जा चुका है। टोंक रोड पर पर रैम्प व डामरीकरण का कार्य भी 30 मई को पूरा करके यातायात शुरू करवा दिया गया था। टोंक रोड पर दो क्लोवर लीफ का कार्य पूरा करने केबाद 31 जुलाई से से यातायात प्रारम्भ किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बी-2 बाईपास जंक्शन, टोंक रोड पर एक प्रमुख जंक्शन है जो कि दुर्गापुरा को सांगानेर, प्रतापनगर एवं सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त यह जंक्शन होटल, वैवाहिक स्थल, व्यवसायिक क्षेत्र, हॉस्पिटल एवं हवाई अड्डो आदि स्थित है। वर्तमान में इस जंक्शन पर व्यस्ततम समय में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है जिससे समय के साथ-साथ ईंधन की भी बर्बादी होती है। इसके समाधान हेतु जेडीए द्वारा बी-2 बाईपास चौराहें को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त जंक्शन बनाया गया है। जिसमें जवाहर सर्किल से मानसरोवर की तरफ अण्डरपास एवं टोंक रोड पर बजरी मंडी एवं रामदास अग्रवाल तिराहे पर क्लोवर लीफ के निर्माण के साथ विधुतीकरण का कार्य किया गया है।

सलूंबर में दलित शंकर लाल की हत्या मामले में वेल में आया विपक्ष

हंगामे के बीच ही मंत्री ने दिया जवाब, विपक्ष ने किया कार्यवाही का बहिष्कार

- सलूम्बर जिले के शिक्षक हत्या प्रकरण में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी : जोगाराम पटेल
- विपक्ष की मांग थी कि जिस प्रकार कन्हैया लाल हत्याकांड की तरह ही शंकरलाल को मुआवजा और परिजनों को नौकरी देनी चाहिये
- पटेल ने कहा कि यह मामला उस तरह का नहीं है

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में सलूंबर की घटना को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के हंगामें के बीच जवाब दिया। उदयपुर के सलूंबर में पिछले दिनों दलित शंकर लाल की हत्या प्रकरण में परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

एक दिन पहले विपक्ष ने शंकर लाल हत्या प्रकरण में सरकार की ओर से जवाब देने की मांग विपक्ष ने की थी। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को इस पर सरकार का स्पष्टीकरण देने की व्यवस्था दी थी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मामले पर अब तक की पुलिस कार्रवाई का विवरण देते हुए कहा कि 25 जुलाई को शंकर लाल अपने घर के बाहर बैठा था, उस दौरान फतेह सिंह नाम का व्यक्ति आया और उसने तलवार से शंकर लाल की हत्या कर दी। उसके बाद आत्महत्या के लिए खुद को भी इस हथियार से घायल कर लिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई। मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है।

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्ष ने मांग की कि शंकर लाल को मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या भी इसी तरह का मामला थी, जिसमें पूर्व गहलोत सरकार ने 50 लाख का मुआवजा और इसके दो बच्चों को सरकारी नौकरी दी थी। एक दलित की हत्या हुई है तो उसे आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है।

सत्ता पक्ष ने इस मामले को कन्हैयालाल से इतर बताते हुए कहा कि यह मामला उसे तरह का नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसे भी उसी तरह की हत्या बताते हुए हंगामा किया। जोगाराम ने कहा कि अभी अनुसंधान चल रहा है, इस पर अभी आगे कोई बात नहीं होगी। इस पर विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आसन पर आने पर प्रतिपक्ष के सदस्य भी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। लेकिन मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग पर हंगामा करते रहे। सरकार की तरफ से पूरा जवाब आ जाने की बात कहने पर प्रतिपक्ष ने सदन की शेष कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया और सदन से चले गए। इसके बाद सदन में आगे की कार्रवाई केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही चलाई।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सलूम्बर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक हत्या प्रकरण में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उन्होंने बताया कि मृतक शंकर लाल के परिवारजनों से वार्ता के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। 29 जुलाई को शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है तथा वर्तमान में कानून व्यवस्था बनी हुई है।

कांग्रेस 1 और 2 अगस्त को करेगी विरोध प्रदर्शन

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रदेश भर से जयपुर आये कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रदेश भर में पेयजल की किल्लत, बिजली आपूर्ति में विफलता के साथ ही प्रदेश भर में बेपटरी हो रही कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता में आने के पश्चात् प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में विफल रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद बिजली की आपूर्ति बाधित है तथा गांवों एवं छोटे कस्बों में अघोषित रूप से 4 से 18 घण्टे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया है कि आमजन की पीड़ा को दूर करने में भाजपा की प्रदेश सरकार के विफल रहने तथा प्रदेशवासियों को पेयजल, बिजली की आपूर्ति करने में असफल रहने एवं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में 1 और 2 अगस्त को सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर धरना/प्रदर्शन आयोजित करें।

ज्यादती करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। जिले के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ बिल्लू को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को ढाई लाख रुपए का मुआवजा भी देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने यह अपराध न केवल पीड़िता, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।